राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015

Phone :- 0141-2740819, 2740519, 2740613 Fax :- 2740613 email:- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ0वी0 04(02)/निगो/प्लान/नं.गौ.स.यो./2018/5293 दिनांकः– 15.6.2018

परिपत्र

दिनांक 12.06.2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गोपालन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में गोपालन विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 4739 दिनांक 07.06.2018 में निम्न संशोधन किये जाते है :–

1. बिन्दु संख्या 1 (III) में संशोधन करते हुऐ गौशालाओं को आवंटित भूमि की लीज अवधि **10 वर्ष से बढाकर न्यूनतम 20 वर्ष** की जाती है।
2. बिन्दु संख्या 3 (VIII) में संशोधन करते हुऐ गौशाला में संधारित गौवंश संख्या का **सत्यापन आवेदन पत्र के साथ न करते हुऐ, नंदी गौशाला को सहायता उपलब्ध करवाते समय "प्रपत्र–1" में किया** जावे।

पूर्व में जारी दिशानिर्देश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि नवीन नंदी गौशाला खोलने के लिए संस्था/गौशाला के **दो वर्ष पूर्व पंजीकरण होने की शर्त अनिवार्य नही** है। नवीन पंजीकृत नंदी गौशालाऐं भी सहायता राशि हेतु पात्र होगी तथा गौवंश के चारा–पानी व पशुआहार के लिए दी जाने वाली **सहायता नंदी गौशाला में संधारित नंदी गौवंश** को भी उक्त अवधि के लिए देय होगी। **नंदी गौशाला में केवल नर** गौवंश का **संधारण किया** जायेगा।

राज्य के प्रत्येक जिले में नंदी गौशाला स्थापित करने के लिए **नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना में** तथा राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र लगाने की **गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना** के अन्तर्गत इच्छुक गौशालाओं से निर्धारित प्रपत्र में **आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.07.2018 निर्धारित की** गई। उक्त निर्धारित तिथि तक जिला स्तरीय अधिकारी स्थानीय भामाशाह, समाज सेवी, गौशाला प्रबंधकों से सम्पर्क कर उक्त योजना से अवगत कराते हुऐ आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करवावें।

निदेशक

क्रमांकः–एफ0वी0 04(02)/निगो/प्लान/नं.गौ.स.यो./2018/5294–5370 दिनांकः– 15.6.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Scanned by CamScanner